

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (S-551)/अलेसे-1/ 437-442 दिनांक:- 17/06/25

आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक 2097 दिनांक 13.01.2025 के द्वारा श्री सुरेन्द्र कुमार बलाई, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। को दिनांक 13.01.2025 को मध्याह्न पश्चात् से निलम्बित किया जाकर मुख्यालय कोषाधिकारी, कोषालय, भरतपुर में किया गया है।

श्री सुरेन्द्र कुमार बलाई, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। को निलम्बन काल में राजस्थान सेवा नियमों के नियम 53 के अन्तर्गत नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।

(बृजेश किशोर शर्मा)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.2 (क) (S-551)/अलेसे-1/ 437-442 दिनांक:- 17/06/25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. कोषाधिकारी, भरतपुर को भेजकर लेख है कि कार्मिक का गत भुगतान प्रमाण-पत्र प्राप्त कर नियमानुसार निलम्बन अवधि के निर्वाह भत्ते का भुगतान करने की व्यवस्था करावें।
3. उप निदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में प्रविष्टी करने हेतु।
4. श्री सुरेन्द्र कुमार बलाई, निलम्बित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। मुख्यालय कोषाधिकारी, कोषालय, भरतपुर।
5. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
6. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल।

(के.जी.गुप्ता)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक)